

994/R2/23  
16.10.23पत्रांक- 15/एम1-245/2023 - 3807.  
शिक्षा विभाग, बिहारडा0 रेखा कुमारी,  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,  
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना दिनांक 14/10/2023

विषय:- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अनुपस्थित रह रहे छात्र-छात्राओं के नाम काटने एवं अन्य निदेशों के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार निम्नांकित निदेश दिये जा रहे हैं :-

1. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर जो भी छात्र या छात्रा 03 दिनों से अधिक अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित पाये जाते हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर उनका नाम काटने/पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

2. विश्वविद्यालय के परीक्षा-नियंत्रक कुलसचिव के सहयोग से यह सुनिश्चित होने के बाद ही छात्र-छात्राओं को परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड निर्गत करेंगे की उक्त छात्र-छात्रा की उपस्थिति 75% प्रतिशत या उससे अधिक रही है।

उक्त निदेश का अनुपालन कृपया दृढ़ता से किया जाय।

विश्वासभाजन

Signed by Rekha Kumari  
Date: 13-10-2023 13:17:15(रेखा कुमारी)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

AM RG., Heads of  
all Principals  
(Commitment & Affiliated)  
For needful action.  
16.10.2023